



2026:AHC:65131

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 12466 वर्ष 2026

रमेश यादव

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. विपक्षी संख्या 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता श्री शिव कुमार यादव द्वारा दायर वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता शिव कुमार यादव और राज्य-विपक्षी संख्या 1 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत प्रस्तुत आवेदन, विशेष सत्र परीक्षण संख्या 23/2016 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश यादव), मुकदमा अपराध संख्या 1253/2014 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत थाना केराकत, जिला जौनपुर में दर्ज है, जो अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर की न्यायालय में लंबित है की समझौते के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है
4. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 1253/2014 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत थाना केराकत, जिला जौनपुर में दिनांक 04.12.2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, यह आरोप लगाया गया है कि सूचनाकर्ता की लगभग 17 वर्षीय पुत्री को आवेदक ने दिनांक 08.10.2014

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को सुबह 4:00 बजे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था। आवेदक और पीड़िता ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 2017/2015 दायर की थी, जिसका इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 30.01.2015 के आदेश द्वारा कुछ निर्देशों के साथ निस्तारण किया था।

5. विवेचना अधिकारी ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया, लेकिन आवेदक को आरोपपत्र दाखिल होने की जानकारी नहीं थी और जैसे ही उन्हें आरोपपत्र दाखिल होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने बी.एन.एस.एस. की धारा 528 संख्या 3020/2026 के तहत आवेदन दायर किया, जिसका निस्तारण इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 28.01.2026 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ किया कि पक्षकार संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और पक्षकारों के बीच हुए समझौते का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 28.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:

1. अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि यह आवेदन विशेष सत्र परीक्षण संख्या 23/2016 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश यादव), मुकदमा अपराध संख्या 1253/2014 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत थाना केराकत, जिला जौनपुर में दर्ज है, की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है यह मामला पीड़िता के पिता द्वारा वर्ष 2014 में प्रलोभन देने के आरोप में दर्ज कराया गया था। अभियुक्त/आवेदक और पीड़िता विवाहित हैं और उनके दो बच्चे हैं। जहां मुकदमे की कार्यवाही अभियुक्त/आवेदक की जानकारी में नहीं थी और वर्तमान में सीआरपीसी की धारा 82 के तहत अभियुक्त/आवेदक के खिलाफ प्रक्रिया जारी की गई है, जो आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से कभी भी अवर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि सूचनाकर्ता के पिता ने अभियुक्त/आवेदक के साथ समझौता कर लिया है, जिसमें पीड़िता भी एक पक्ष है। समझौते की प्रमाणित प्रति आवेदन के पृष्ठ 68 पर है। अतः न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की जाती है।

2. विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 (सूचनाकर्ता और पीड़िता) के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार यादव उपस्थित हुए और उन्होंने वकालतनामा तथा संक्षिप्त प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है। उन्होंने आरोपी आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा कि पक्षकार अभियोजन मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि पक्षकारों ने अपने व्यक्तिगत विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, इसलिए वे कथित आपराधिक कृत्य का न्यायनिर्णय नहीं चाहते हैं और प्रार्थना की कि समझौते के अनुसरण में उपरोक्त आपराधिक मामले को रद्द कर दिया जाए।

4. न्यायालय के लिए उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि यदि पक्षकार दी गई परिस्थितियों में समझौता दाखिल करने के लिए अवर न्यायालय में जाएं।

5. विपक्षी संख्या 4 और 5 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने माफत लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2022) 6 एस.सी.सी. 589 के मामले में आरोपी और पीड़िता के विवाह को ध्यान में रखते हुए एफ.आई.आर. और भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 की परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

7. यहां तक कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामलों में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने के. धंदापानी बनाम जरिये राज्य पुलिस निरीक्षक (2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1056) के मामले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि अभियुक्त और पीड़िता अपने वैवाहिक जीवन में सुखी हैं, और यह माना कि "यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आंखें मूंद नहीं सकता और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के सुखी पारिवारिक जीवन को भंग नहीं कर सकता"।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि आरोपी और पीड़िता विवाहित हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों को उपरोक्त निर्णय के आलोक में देखा जाना चाहिए।

9. क्या पक्षों (सूचनाकर्ता, पीड़िता और आरोपी) के बीच समझौता हुआ है, इसका सर्वोत्तम निर्णय अवर न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अतः, पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर तीस दिनों के भीतर हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसकी अवर न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी। अवर न्यायालय मूल प्रति को अपने अभिलेख में रखेगी।

10. यदि सूचनाकर्ता, पीड़िता और आरोपी हस्ताक्षरकर्ता न हों और सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों, तो अवर न्यायालय किसी भी समझौते पर विचार नहीं करेगी।

आवश्यकता पड़ने पर अवर न्यायालय उचित विचार-विमर्श करके उचित आदेश पारित करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यदि समझौता निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल और सत्यापित कर दिया जाता है, तो अवर न्यायालय की कार्यवाही दो महीने के लिए स्थगित कर दी जाएगी; अन्यथा, अवर न्यायालय सुनवाई जारी रखेगी।

12. समझौता प्रस्तुत करने और उसका सत्यापन करवाने वाले सभी पक्षकार आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

13. उपरोक्त के मद्देनजर, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 का तदनुसार निस्तारण किया गया।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। पीड़िता के कथित रूप से भाग जाने के बाद, आवेदक और पीड़िता का विवाह संपन्न हुआ और इस विवाह से दो बच्चे हुए। आवेदक और पीड़िता पति-पत्नी के रूप में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और अब उनके विवाह को प्रथम सूचनाकर्ता/इस मामले के विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने 10.03.2026 को समझौता भी किया था, जिसका सत्यापन विद्वान विचारण न्यायालय ने भी 10.03.2026 को किया था। दिनांक 10.03.2026 के समझौते के दस्तावेज को शपथ पत्र के अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में संलग्न किया गया है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि संबंधित न्यायालय द्वारा 10.03.2026 को सत्यापित किए गए समझौते को देखते हुए, वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी जाए क्योंकि आवेदक और पीड़िता पिछले 12 वर्षों से पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं और इस विवाह से दो बच्चे पैदा हुए हैं।

8. विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ताओं ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध नहीं किया और आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों का समर्थन किया। विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान स्वीकार किया कि आवेदक और इस मामले की पीड़िता के बीच विवाह संपन्न हुआ था और इस विवाह से दो बच्चे पैदा हुए थे। आगे यह निवेदन किया गया कि दिनांक 10.03.2026 के समझौते के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा इस मामले की कार्यवाही को रद्द किया जाए। यह भी निवेदन किया गया कि पक्षों के बीच बिना किसी दबाव के समझौता हुआ है।



9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन विवाह, दो बच्चों के जन्म और समझौते तथा 10.03.2026 को इसके सत्यापन के तथ्य पर विवाद नहीं कर सके।

10. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

11. निःसंदेह, आवेदक और पीड़िता का विवाह बहुत पहले हुआ था और इस विवाह से आवेदक और पीड़िता के दो बच्चे पैदा हुए थे। । आवेदक और विपक्षी पक्ष संख्या 2/सूचनाकर्ता के बीच भी समझौता हो चुका है, जिसने आवेदक और पीड़ित/विपक्षी पक्ष संख्या 3 के विवाह को स्वीकार कर लिया है।

12. के. धंदापानी बनाम राज्य बनाम पुलिस निरीक्षक, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1056 और माफत लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 433 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक अभियोजन को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि आरोपी ने पीड़िता से विवाह कर लिया था और न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपर्युक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होता है। अतः, उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में वर्तमान आवेदक के मामले में कोई अपवाद नहीं बनता है, क्योंकि आवेदक ने भी पीड़िता से विवाह कर लिया है और दोनों पक्ष सुखपूर्वक साथ रह रहे हैं। उपरोक्त संदर्भ में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक के खिलाफ आपराधिक अभियोजन कानून और तथ्यों दोनों ही दृष्टियों से उचित नहीं है और इसलिए, इसे इस न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना चाहिए।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने के. धंदापानी (उपरोक्त) और माफत लाल (उपरोक्त) के मामलों में भी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्तों ने पीड़िता से विवाह किया था और दूसरा, न्यायालय इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकता। चूंकि के. धंदापानी (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय संक्षिप्त है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से यहाँ प्रस्तुत किया गया है:

"अनुमति प्रदान की जाती है"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियोक्ता का मामा, अपीलकर्ता, तमिलनाडु राज्य के सबसे पिछड़े समुदायों में से एक, वलयार समुदाय से संबंध रखता है। वह एक निजी कारखाने में दिहाड़ी मजदूर के रूप में लकड़हारा का काम करता है। उसके खिलाफ बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) की धारा 5(जे)(यू) के साथ धारा 6, 5(1) के साथ धारा 6 और 3(एन) के साथ धारा 6 के तहत बलात्कार का आरोप लगाते हुए 2012 में एफआईआर दर्ज की गई है। उक्त अपराधों के लिए मुकदमे के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया और तिरुप्पुर स्थित फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश द्वारा 31.10.2018 को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने 13.02.2019 के एक आदेश द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. पार्थिवन ने बताया कि उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता से विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने कहा कि वास्तव में उन्होंने पीड़िता से विवाह किया है और उनके दो बच्चे हैं।

अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण न्याय करना चाहिए तथा अपीलकर्ता और पीड़िता के पारिवारिक जीवन को भंग करना न्याय के हित में नहीं हो सकता।

8 मार्च, 2022 को कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद, हमने जिला न्यायाधीश को अभियोक्ता का वर्तमान स्थिति के बारे में बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। अभियोक्ता का बयान अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके दो बच्चे हैं जिनकी देखभाल अपीलकर्ता कर रहा है और वह सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. जोसेफ एरिस्टोटल एस. ने अपीलकर्ता को किसी भी प्रकार की राहत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि अपराध के समय पीड़िता की आयु 14 वर्ष थी और उसने अपने पहले बच्चे को 15 वर्ष की आयु में तथा दूसरे बच्चे को 17 वर्ष की आयु में जन्म दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता और पीड़िता का विवाह वैध नहीं है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यह विवाह केवल सजा से बचने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि न्यायालय द्वारा राहत दिए जाने के बाद अपीलकर्ता पीड़िता और बच्चों की देखभाल करेगा।

इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियोक्ता के मामा (अपीलकर्ता) की दोषसिद्धि और सजा को बाद में इस न्यायालय के संज्ञान में लाए गए घटनाक्रमों के मद्देनजर रद्द किया जाना चाहिए। यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आंखें मूंदकर अपीलकर्ता और पीड़िता के सुखी पारिवारिक जीवन में दखल नहीं दे सकता। हमें तमिलनाडु में लड़की का विवाह उसके मामा से कराने की प्रथा के बारे में जानकारी मिली है।



उपर्युक्त कारणों से, मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा रद्द की जाती है और इसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। लंबित आवेदन (यदि कोई हो) का भी निस्तारण कर दिया जाएगा।

यदि अपीलकर्ता पीड़िता की उचित देखभाल नहीं करता है, तो पीड़िता या पीड़िता की ओर से राज्य इस आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम उराव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में आपराधिक अपील संख्या (एस) 41/2021 में दिनांक 10.01.2025 को दिए गए निर्णय में अपीलकर्ता पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता/आरोपी और सूचनाकर्ता/ पीड़िता ने आपस में शादी कर ली थी।

15. इसी प्रकार, दासारी श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य के मामले में, जिसका उल्लेख (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 936 में किया गया है, समान परिस्थितियों और लगभग समान प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था। दासारी श्रीकांत (उपरोक्त) के प्रासंगिक अनुच्छेद 8 से 10 इस प्रकार हैं:-

“8. चूंकि अपीलकर्ता और सूचनाकर्ता ने आपस में शादी कर ली है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की पुष्टि का आरोपी अपीलकर्ता को जेल भेजे जाने पर विनाशकारी परिणाम होगा, जिससे सूचनाकर्ता के साथ उसका वैवाहिक संबंध खतरे में पड़ सकता है।

9. परिणामस्वरूप, हम अवर न्यायालय द्वारा दर्ज और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित अभियुक्त अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के इच्छुक हैं।

10. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जून, 2023 को पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 9 अप्रैल, 2021 को पारित किया गया निर्णय अमान्य हैं अतः आदेश को निरस्त और रद्द किया जाता है।

16. एक अन्य फैसले महेश मुकुंद पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 614 में प्रकाशित हुआ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354ए, 363, 366, 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध की कार्यवाही को आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह के आधार पर रद्द कर दिया। यह रिकॉर्ड में लाया गया कि आरोपी और पीड़िता के विवाह से दो बच्चे पैदा हुए, जिनके दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत किए गए। इस मामले में सर्वोच्च

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय ने कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियोजन जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इससे अपीलकर्ता/आरोपी और पीड़िता और उनके बच्चों को अनावश्यक उत्पीड़न होगा।

17. सर्वोच्च न्यायालय ने **मधुकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** के मामले में, जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7212/2025 से संबंधित है, और **प्रभाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** के मामले में, जो एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7495/2025 से संबंधित है, दिनांक 20.11.2023 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 302/2023 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 324, 141, 143, 147, 149, 452, 323, 504 और 506 साथ ही दिनांक 21.11.2023 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 304/2023 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354-ए, 354-डी, 509 और 506 की समस्त कार्यवाही को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया। । उक्त निर्णय के पैराग्राफ 6, 7 और 8 को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“6. प्रारंभ में, हम यह स्वीकार करते हैं कि आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। सामान्यतः, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही को रद्द करना हतोत्साहित किया जाता है और इसे आसानी से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत न्यायालय की शक्ति किसी कठोर सूत्र से बंधी नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, हम एक असामान्य स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ आईपीसी की धारा 376 सहित गंभीर आरोपों वाली एफआईआर, विपक्षी पक्ष द्वारा दर्ज की गई पिछली एफआईआर के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। घटनाओं का यह क्रम आरोपों को एक निश्चित संदर्भ प्रदान करता है और इससे संकेत मिलता है कि दूसरी एफआईआर प्रतिक्रियात्मक कदम हो सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी एफआईआर में सूचनाकर्ता ने स्पष्ट रूप से मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अब उनका विवाह हो चुका है और वे अपने निजी जीवन में स्थिर हैं, और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उनकी शांति और स्थिरता भंग ही होगी। उनका रुख न तो अनिश्चित है और न ही अस्पष्ट, उन्होंने लगातार, अभिलेख पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मौजूद हलफनामे सहित, यह स्पष्ट किया है कि वे अभियोजन का समर्थन नहीं करतीं और मामले को समाप्त करना चाहती हैं। दोनों पक्षों ने भी सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने मतभेदों को सुलझा लिया है और आपसी सहमति पर पहुँच गए हैं। इन परिस्थितियों में, मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे केवल सभी संबंधित पक्षों, विशेष रूप से सूचनाकर्ता, की पीड़ा ही बढ़ेगी और अदालतों पर बोझ बढ़ेगा, जबकि किसी भी तरह के सकारात्मक परिणाम की संभावना नहीं है।

8. अतः, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और सूचनाकर्ता द्वारा लिए गए स्पष्ट रुख और समझौते की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम इस राय पर पहुँचे हैं कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा और यह केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित अनुपात और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह आवेदन सफल है और स्वीकार किए जाने योग्य है। इसे तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

19. विशेष सत्र परीक्षण संख्या 23/2016 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रमेश यादव), मुकदमा अपराध संख्या 1253/2014 अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत थाना केराकत, जिला जौनपुर में दर्ज, जो अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर की न्यायालय में लंबित है की की संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

20. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,)

28 मार्च, 2026

ए. पी. पांडेय